वित्त मंत्रालय

मांग संख्या 41

राजस्व विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	...	9304.69	9304.69	...	12045.79	12045.79	...	10759.23	10759.23
	पूंजी	...	*2.31*	*2.31*	...	*1.64*	*1.64*	...	*0.77*	*0.77*
	जोड़	...	**9307.00**	**9307.00**	...	**12047.43**	**12047.43**	...	**10760.00**	**10760.00**
1. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	106.08	106.08	...	102.11	102.11	...	108.66	108.66
2. मूल्य वर्धित कर योजना का कार्यान्वयन	2052	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	20.00	20.00
3. कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन *निवल*	2052	...	26.65	26.65	...	13.29	13.29	...	15.84	15.84
अन्य राजकोषीय सेवाएं										
4. प्रवर्तन निदेशालय	2047	...	51.42	51.42	...	36.92	36.92	...	34.51	34.51
5. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान	2047	...	11.19	11.19	...	10.17	10.17	...	6.94	6.94
6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	2047	...	0.58	0.58	...	0.70	0.70	...	0.72	0.72
7. अन्य व्यय	2047	...	20.29	20.29	...	19.83	19.83	...	18.55	18.55
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
8. स्वापक नियंत्रण *निवल*	2070	...	22.60	22.60	...	23.90	23.90	...	21.54	21.54
9. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि	2070	...	2.26	2.26	...	1.46	1.46	...	1.46	1.46
10. औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में अन्तरण	2070	...	0.01	0.01	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
अन्य उद्योग										
11. अफीम एवं एल्केलायड कारखाने										
11.01 राजस्व व्यय	2875	...	326.86	326.86	...	240.12	240.12	...	434.97	434.97
11.02 घटाइए-राजस्व प्राप्तियां	0875	...	-300.97	-300.97	...	-300.97	-300.97	...	-308.00	-308.00
	निवल	...	*25.89*	*25.89*	...	*-60.85*	*-60.85*	...	*126.97*	*126.97*
11.03 पूंजीगत व्यय	4875	...	2.31	2.31	...	1.64	1.64	...	0.77	0.77
12. मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखाने	2875	...	0.77	0.77	...	0.66	0.66	...	0.57	0.57
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क										
13. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर संग्रहण	2045	...	6.90	6.90	...	...	...	...	0.01	0.01
14. विदेश यात्रा कर संग्रहण	2045	...	0.10	0.10	...	...	...	...	0.01	0.01
आय और व्यय पर करों का संग्रहण										
15. अन्य व्यय	2020	...	0.45	0.45	...	0.42	0.42	...	0.45	0.45
16. मूल्यवर्धित कर लागू करने तथा मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के	3601	...	3018.50	3018.50	...	3151.00	3151.00	...	376.00	376.00
कारण राजस्व हानियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की	3602	...	2.00	2.00	...	1.00	1.00	...	25.00	25.00
सरकारों को क्षतिपूर्ति	*जोड़*	...	*3020.50*	*3020.50*	...	*3152.00*	*3152.00*	...	*401.00*	*401.00*
17. केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के कारण राज्यों/संघ	3601	...	6000.00	6000.00	...	8735.18	8735.18	...	10000.00	10000.00
राज्य क्षेत्रों की सरकारों को क्षतिपूर्ति	3602	...	1.00	1.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	*6001.00*	*6001.00*	...	*8735.18*	*8735.18*	...	*10000.00*	*10000.00*
18. सहायता सामग्री और उपस्कर - सकल	3606	...	0.50	0.50	...	0.35	0.35	...	0.35	0.35
घटाइए- कार्यशील मुख्य शीर्ष में हस्तांतरण	3606	...	-0.50	-0.50	...	-0.35	-0.35	...	-0.35	-0.35
निवल- सहायता सामग्री और उपस्कर		...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		...	***9307.00***	***9307.00***	...	***12047.43***	***12047.43***	...	***10760.00***	***10760.00***

1. इसमें केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्त आसूचना एकक, भारत तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम तथा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण सहित राजस्व विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. विशिष्ट श्रेणी तथा नव सृजित राज्यों के संबंध में मूल्य वर्धित कर (वैट) की ओर उन्मुख होने के लक्ष्य के साथ बिक्री कर विभाग की अवसंरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रावधान किया गया है।

3. यह प्रावधान सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को वैट की शुरूआत तथा उपकरणों की खरीद इत्यादि के संबंध में जोड़ने के लिए एक कर सूचना विनिमय प्रणाली का गठन करने तथा अधिकार प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित करने पर होने वाले विविध व्ययों के लिए सहायता अनुदान के रूप में किया गया है।

4. इसमें प्रवर्तन निदेशालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रवर्तन और धनशोधन निवारण अधिनियम से संबंधित है।

5. इसमें राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को सहायता अनुदान देने के लिए प्रावधान किया गया है।

6. इसमें धनशोधन संबंधी एशियाई/पैसिफिक समूह, इगमोंट समूह और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की सदस्यता के लिए वार्षिक अंशदान हेतु प्रावधान किया गया है।

7. इसमें तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण तथा सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण तथा धन शोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के लिए प्रावधान शामिल है।

8. इसमें केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के लिए प्रावधान शामिल है।

9. इसमें औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि, कर प्रशासकों की राष्ट्रमण्डलीय एसोसिएशन, सीमाशुल्क परिषद और कोलंबो प्लान ब्यूरो तथा कर प्रशासकों के अंतर अमरीकी केंद्र के औषध परामर्शदात्री कार्यक्रम और पारदर्शिता एवं सूचना के आदान-प्रदान संबंधी वैश्विक मंच में अंशदान के लिए प्रावधान किया गया है।

10. यह प्रावधान औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि में निधियां अंतरित करने के लिए किया गया है।

11. यह अफीम उत्पादन की खरीद सहित गाजीपुर तथा नीमच स्थित अफीम कारखानों और एल्केलायड कारखानों के निवल व्यय को दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार अफीम की खेती पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखती है और संसाधित करने तथा चिकित्सीय और वैज्ञानिक जरुरतों के लिए बिक्री करने के लिए पूरी उपज खरीदती है।

12. यह प्रावधान मुख्य नियंत्रक, सरकारी अफीम एवं एल्केलायड कारखानों के संगठन संबंधी व्यय लिए किया गया है।

13. अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर जो वर्ष 1989-90 से लागू किया गया था, देश के अन्दर हवाई यात्रा करने वाले सभी यात्रियों पर लगाया जाता था। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता था। कर को 9 जनवरी, 2004 से समाप्त कर दिया गया है। यह प्रावधान कैरियरों को संग्रहण प्रभारों की बकाया राशि को भुगतान के लिए है।

14. किसी यात्री द्वारा की गई अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा के संबंध में विदेश यात्रा कर संदेय था। यह कर कैरियरों द्वारा वसूल किया जाता था जिसके लिए उन्हें संग्रहित कर पर संग्रहण प्रभार का भुगतान किया जाता था। यद्यपि 9 जनवरी, 2004 से यह कर समाप्त कर दिया गया है, यह प्रावधान ऐसे प्रभारों की बकाया राशि की अदायगी के लिए किया गया है।

15. यह प्रावधान आयकर अधिनियम के अधीन गठित राष्ट्रीय, आर्थिक और समाज कल्याण संवर्धन समिति के खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया है।

16. यह प्रावधान वैट लागू होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए किया गया है। यह प्रावधान राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य मूल्य संवर्धित कर से संबंधित व्यय जिसमें मूल्य संवर्धित कर प्रशासन का आधुनिकीकरण एवं राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में दो कराधान संस्थानों की स्थापना/उन्नयन भी शामिल है, के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भी है।

17. यह प्रावधान केन्द्रीय बिक्री कर को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए है।

18. यह प्रावधान भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका (यू.एस.ए.) सरकार के बीच हस्ताक्षरित करार पत्र के अधीन यू एस ए सरकार द्वारा केंद्रीय स्वापक व्यूरो को प्रदान की जाने वाली सहायता सामग्री और उपकरणों के मूल्य के समायोजन के लिए है।